न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 30/2019 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. बाबूलाल पुत्र काना उम्र 55 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरिताभ कुमार आदित्य उप जिला कलक्टर सिकराय।
2. सेडमल पुत्र काना उम्र 58 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. कजोड मल पुत्र रमेश जाति ब्राह्मण निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण विरूद्ध उप जिला कलक्टर सिकराय बाबत मुकदमा अनुवानी बाबूलाल बनाम सेडमल दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व मुकदमा सेडमल बनाम कजोडमल दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जिसमे आगामी तारीख पेशी 29.07.2019 नियत है)

उपस्थिति : श्री सेडूराम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 अनुपस्थित ।
: श्री गोरधन गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 30.08.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वाद उनवानी बाबूलाल बनाम सेडमल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 02.05.2018 को वाके ग्राम सिकन्दरा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 125/3166, 127, 134, 136, 137, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 322, 324, 327, 2248 कुल किता 18 कुल रकबा 5.17 है. बाबत रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश आगामी तारीख पेशी 16.05.2018 तक दिया गया। उक्त पत्रावली में उक्त प्रार्थना पत्र आर्डर रूल 11 सीपीसी का प्रतिवादी कजोड द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्रावली में प्रतिवादी ने उपखण्ड अधिकारी सिकराय पर राजनैतिक दबाव बनाकर उक्त पत्रावली में शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे 17.07.2019 तारीख पेशी दी गई एवं इसके बाद 19.07.2019 की तारीख पेशी दी गई। दिनांक 19.07.2019 को विपक्षी सेडमल ने एक वाद उनवानी सेडमल बनाम कजोडमल प्रस्तुत किया एवं उक्त वाद को प्रस्तुत करने के बाद उपखण्ड अधिकारी ने स्वयं ने प्रार्थी के द्वारा किये गये वाद को भी निकलवा लिया एवं खुली अदालत में प्रार्थी से कहा कि तुमने तो लिखावट लिख रखी है, इकरारनामे लिख रखे है, जमीने विक्रय कर रखी है, मौके पर निर्माण हो रहे है, तुमने दावा गलत पेश किया है। मै इस दावे को खारिज करूंगा। उपखण्ड अधिकारी को उक्त भूमि के बारे में गलत फीड की गयी बातों के आधार पर दिनांक 19.07.2019 को प्रार्थी के वाद को खारिज करने पर आमादा हो गये। प्रार्थी को निवेदन करके बडी मुश्किल से तारीख पेशी 29.07.2019 बहस के लिये दी, जबकि केस अभी तक बहस में नहीं है और खुले आम स्पष्ट कह दिया कि 29.07.2019 को तुम्हारे वाद को खारिज करूंगा क्योंकि तुमने तो पहले ही बंटवारा कर रखा है तथा प्लाटो के विक्रय कर रखे है। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं रही है।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसलिये प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष विचाराधीन मुकदमा उनवानी बाबूलाल बनाम सेडमल दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व मुकदमा सेडमल बनाम कजोडमल दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 3 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 अनुपस्थित एवं अप्रार्थी सं. 2 की ओर से बहस के दौरान मुंशी श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा उपस्थित ने अवगत कराया कि अधिवक्ता श्री विनोद कुमार विजय उपस्थित नहीं हो पायेंगे।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण ने उपखण्ड अधिकारी सिकराय पर राजनैतिक दबाव बनाकर उक्त पत्रावली में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 17.07.2019 की पेशी ली और बाद में 19.07.2019 की तारीख पेशी ले ली। विपक्षीगण माननीया मंत्री महोदया के खास मिलने वाले है और विपक्षी ने उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक दबाव बनवा रखा है कि वे उक्त वाद को खारिज करे। प्रार्थी को दिनांक 19.07.2019 को ही विपक्षीगण ने धमकी दी है कि आज तो केस खारिज नहीं हुआ किन्तु उक्त केस को अगली तारीख पेशी पर खारिज करवाकर मौके पर निर्माण करवायेंगे तथा प्लाटो का विक्रय कर देंगे। न्याय का सार्वभौम सिद्धान्त है कि न्याय हो रहा है ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए किन्तुं प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष विचाराधीन मुकदमा उनवानी बाबूलाल बनाम सेडमल दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व मुकदमा सेडमल बनाम कजोडमल दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 3 ने निवेदन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप कि अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव बनवा रखा है, झूंठा एवं मनगढन्त आरोप है। पीठासीन अधिकारी पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक दबाव नहीं है। विपक्षीगण द्वारा भी पीठासीन अधिकारी पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को लम्बित करने की गरज से एवं अप्रार्थीगण को परेशान हैरान करने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो बिल्कुल झूठे तथ्यो पर आधारित है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्रावली में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये। जिससे स्पष्ट होता हो कि पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण द्वारा राजनैतिक दबाव दिलाया जा रहा हो या पीठासीन अधिकारी की अप्रार्थीगण से मिलीभगत हो। प्रार्थी प्रकरण को लम्बे करने की गरज से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण चाहता है। अतः हम प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official